कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

Email:-dfo_pauri_uta@yahoo.co.in , Phone/Fex no:-01368-222215

पत्रांकः– 1222 / 12-1 : दिनांकः पौड़ी, माह, सितम्बर, 27 2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

विषयः– **Diversion of 4.75 ha of forest land for construction of Bhandeli Bend (Thalisain) To Jakhola Motor Road (Length 9.500 Km) in favour of PMGSY, Garhwal Forest Division, Pauri, District Pauri Garhwal, Uttarakhand.**

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र सं0 8B/UCP/06/263/2015/FC/1162 Dated 29/11/2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में लगाई गई बिन्दुओं की आख्या निम्न प्रकार से प्रेषित की जा रही हैः–

प्रश्न	उत्तरालेख
1. It was seen that there is no documentary evidence available in the file reporting the felling of 528 trees. State Government is requested to furnish the documentary evidence/field reports regarding the felling of 528 trees.	
<u>Documentary evidence/field reports regarding the felling of 528 trees</u> अवगत करना है कि विषयगत मोटर मार्ग के सापेक्ष प्रभावित हुये 528 वृक्षों के सम्बन्ध में छपान सूची, पातन अनुज्ञा एवं वन विकास निगम द्वारा पातन के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को प्रेषित त्याग पत्र संलग्न किया जा रहा है, जिससे प्रतीत होता है कि प्रश्नगत मोटर मार्ग के निर्माण कार्य में 528 वृक्षों का पातन किया गया है। (संलग्नक–1)	
2. State Government is requested to furnish documents establishing the detailed examination of the violation and field reports verifying the submissions made by the DFO on the reported felling of trees.	
<u>Documents establishing the detailed examination of the violation</u> पार्ट–I के प्रारूप–19 में प्रस्तावक विभाग एवं डी0एफ0ओ0 द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाले वृक्षों के प्रजातिवार/व्यासवार विवरण में 528 वृक्ष प्रभावित होने की सूचना दी गई। प्रभागीय कार्यालय में उपलब्ध पार्ट–I के प्रारूप–21 में प्रस्तावक विभाग एवं डी0एफ0ओ0 द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य में वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या 528 अंकित की गई है। पार्ट–II के विन्दु सं0 4 (ii) में डी0एफ0ओ0 द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य के लिये आवंटित भूमि में अवस्थित वृक्षों की संख्या में 528 वृक्षों की सूचना दी गई है। पार्ट–III के विन्दु सं0 2 में वन संरक्षक द्वारा प्रश्नगत में परियोजना क्षेत्र में विभिन्न प्रजाति के 528 वृक्ष प्रभावित होने का उल्लेख किया गया है। अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई, सिं0ख0, मुख्यालय सतुपली की पत्र सं0 194, दिनांक 26.05.2018 के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून को सम्बोधित करते हुये विन्दु सं0 4 में उल्लेख किया गया है कि चयनित मोटर मार्ग के संमरेखण पर 528 वृक्षों की गिनती की गई है, जिसमें मोटर मार्ग की चौड़ाई 9.00 मीटर है परन्तु वास्तविक रूप से मोटर मार्ग की चौड़ाई 6.00 मीटर में की जानी है जिसके हेतु 270 वृक्षों का पातन किया जाना है। (संलग्नक–2) दिनांक 07.01.2019 को भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की गई– राज्य सरकार द्वारा परिवेश पोर्टल पार्ट–II के पैरा 4 (ii) में 269 वृक्षों की संख्या अपलोड करेगी।	

01C

Scanned with CamScanner

भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी— कम से कम वृक्षों का पातन/कटान किया जायेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 269 से अधिक न हो।
सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत होने के उपरान्त प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी द्वारा वन क्षेत्राधिकारी, पूर्वी अमेली रेंज, थलीसैंण को प्रश्नगत प्रकरण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की छपान सूची उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके कम में वन क्षेत्राधिकारी, पूर्वी अमेली रेंज, थलीसैंण द्वारा 528 वृक्षों की छपान सूची प्रभागीय कार्यालय को उपलब्ध कराई गयी।
मूल प्रस्ताव में 528 वृक्ष प्रभावित होने का उल्लेख किया गया है एवं ऑन लाईन परिवेश पोर्टल के पार्ट–।। में भी 528 वृक्षों को प्रभावित होने का उल्लेख है। मूल प्रस्ताव में उच्च स्तर से अनेकों बार ऑन लाईन ई0डी0एस0 आपत्तियां लगाई गई, जिस कारण मूल प्रस्ताव में कई संशोधन हुये। प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय को न लिखते हुये सीधे अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून से पत्राचार किये जाने के कारण भी मूल प्रस्ताव के वृक्षों की संख्या में हुई भिन्नता से प्रभागीय कार्यालय अवगत नहीं था।
जिस कारण प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय द्वारा मूल प्रस्ताव में उल्लिखित 528 वृक्षों का लॉट वन विकास निगम को आवंटित किया गया।

Field reports verifying the submissions made by the DFO on the reported felling of trees

विषयगत प्रकरण में वन क्षेत्राधिकारी, पूर्वी अमेली रेंज, थलीसैंण से आख्या मांगी गई थी। वन क्षेत्राधिकारी की जांच आख्या पत्रांक 200/12–1, दिनांक 25.09.2023 से इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा दिनांक 25.09.2023 को विषयगत मोटर मार्ग स्वयं निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विषयगत मोटर मार्ग में निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसमें यानपथ (Black topped Carriageway) का भी निर्माण पूर्ण हो चुका है। 528 वृक्षों का पातन वन विकास निगम द्वारा 10.05.2019 से 11.09.2020 एवं 15.02.2020 से 17.05.2021 में किया गया है, जिसमें कि अबतक दो वर्ष से भी अधिक का समय व्यतीत हो गया है। वर्तमान में प्रश्नगत भूमि पर वृक्ष के पातन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के खूंट या अन्य चिन्ह मौजूद नहीं हैं, जिस कारण प्रश्नगत प्रकरण में वृक्ष पातन के सम्बन्ध में फील्ड आख्या देना सम्भव नहीं है। **(संलग्नक–3)**

3. State Government is requested to provide details of;

(i) The agency responsible for felling of trees, and

प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी द्वारा वृक्षों के पातन हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम को लॉट आवंटन किया गया।

(ii) Authority responsible for issuing the order for feeling of trees in excess to the number of trees for which felling permisssion was granted.

मूल प्रस्ताव में 528 वृक्ष प्रभावित होने का उल्लेख किया गया है एवं ऑन लाईन परिवेश पोर्टल के पार्ट–।। में भी 528 वृक्षों को प्रभावित होने का उल्लेख है। मूल प्रस्ताव में उच्च स्तर से अनेकों बार ऑन लाईन ई0डी0एस0 आपत्तियां लगाई गई, जिस कारण मूल प्रस्ताव में कई संशोधन हुये। प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय को न लिखते हुये सीधे अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून से पत्राचार किये जाने के कारण भी मूल प्रस्ताव के वृक्षों की संख्या में हुई भिन्नता से प्रभागीय कार्यालय अवगत नहीं था।
जिस कारण प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय द्वारा मूल प्रस्ताव में उल्लिखित 528 वृक्षों का लॉट वन विकास निगम को आवंटित किया गया।

संलग्नकः–   यथोपरि।

भवदीय,
(स्वप्निल अनिरूद्ध)
प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

Scanned with CamScanner